

उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2007 के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावों का आमंत्रण

1— अधिनियम का उददेश्य

वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों, जो पीढ़ियों से इन वनों में निवास करते रहे हैं किन्तु जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका, उन्हें वन भूमि पर उनके कब्जे तथा उनके अधिकारों को मान्यता देने हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु 31 दिसम्बर 2007 से अधिनियम लागू किया गया है।

2— अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार हेतु उपयुक्त पात्रता

- राज्यों के क्षेत्रों में जहां कोई जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित हैं, वहां की वन निवासी अनुसूचित जनजातियां और
- अन्य परम्परागत वन निवासी, इस अधिनियम के अंतर्गत वन निवासी अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता एवं ये अधिकार उन्हे इस शर्त के अधीन सौंपे जायेगे की ऐसी अनुसूचित जनजाति तथा जनजातीय समुदाय 13 दिसम्बर 2005 से पहले वन भूमि पर काबिज हों, तथा अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन भूमि पर काबिज हों।

3— अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त वन अधिकार

यह अधिनियम वन निवासी अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासियों के निम्नांकित वन अधिकारों को 31.12.2007 से मान्यता देता है।

- (1) व्यक्तिगत अधिकार उदाहरण स्वरूप वन भूमि पर खेती का अधिकारी।
- (2) सामुदायिक अधिकार उदाहरण स्वरूप वन लघु उत्पादों का संग्रह।

4— अधिनियम से प्राप्त होने वाले लाभ

- अधिनियम के परिणाम स्वरूप वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, लम्बे समय से उनके कब्जे में रही वन भूमि और उनकी आजीविका के लिए स्वयं की खेती व निवास के लिए वन अधिकारों को मान्यता मिलेगी।
- उन्हे, लघु वन उत्पादों का प्रयोग करने अथवा उनका निपटान करने की पहुंच प्राप्त होगी।
- जब तक उनके अधिकारों का निर्णय नहीं हो जाता, उनके कब्जे में रही वन भूमि से उनकी बेदखली अथवा उन्हें हटाने की धमकी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

- उनके पक्ष में भूमि का स्पष्टतः हकनामा, हो जाने के बाद उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
- वन निवासी अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वयं की खेती अथवा निवास के लिए साझा कब्जा अथवा किसी व्यक्ति के अधीन वन भूमि के सम्बन्ध में वन अधिकारों को मान्यता मिलेगी तथापि, वास्तविक कब्जा के अंतर्गत क्षेत्र को प्रतिबन्धित किया जाएगा अथवा किसी भी हालत में यह क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।
- वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करना और उन्हें मान्यता देना जिसमें वन्य जीवन, वन और जैव विविधता का संरक्षण, सुरक्षा और पुनरुत्पादन भी शामिल हैं।
- अधिनियम में वन भूमि के हकनामें का पंजीकरण संयुक्त रूप से पति पत्नी, विवाहित होने पर दोनों के नाम, और ऐसे परिवार के मामले में जिसका मुखिया अकेला अविवाहित है, एक व्यक्ति के नाम में होने की परिकल्पना है। इससे वनों में रहने वाली महिलाएं भी लाभान्वित होगी।

5— कियान्वयन हेतु ऐजेन्सी का चयन तथा संचालन

योजना कियान्वयन हेतु निदेशालय जनजाति कल्याण नोडल विभाग होगा तथा कियान्वयन हेतु राज्य की स्वयं सेवी संस्थाओं/इच्छुक ऐजेन्सी/संस्थाओं जो सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में वन अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम हो, से प्रस्ताव आंमत्रित किये जा रहे हैं, प्राप्त प्रस्तावों पर चयन आदि की कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) 2017 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।:

1. निदेशक जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में योजना का संचालन एंव तकनीकी समिति द्वारा योजना हेतु मंगाये गये प्रस्ताव का आंकलन किया जायेगा। उपयुक्त प्रस्ताव का चयन समिति की माध्यम से किया जायेगा। इस समिति के सदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक जनजाति कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड होंगे। चयन समिति की स्वरूप निम्नवत है—

निदेशक जनजाति कल्याण	— अध्यक्ष
वित्त अधिकारी	— सदस्य
संयुक्त निदेशक	— सदस्य संयोजक
वन विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी	— सदस्य
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	— सदस्य सचिव

योजना का संचालन निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड की निगरानी में गठित समिति के द्वारा चयनित सरकारी एंव गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्था अथवा समूह से कराया जायेगा। प्रस्तावों के चयन हेतु संस्था/संगठन की वस्तुरिस्थिति (अर्थात् सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882/चैरिटेबल एवं रिलीजियस ट्रस्ट अधिनियम, 1920 के अधीन पंजीकरण आदि) हेतु पंजीकरण आवश्यक होगा। प्राप्त प्रस्तावों हेतु समिति के सामने प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। एक से अधिक प्रस्ताव आने पर निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा प्रस्ताव का चयन किया जायेगा। समिति द्वारा ऐजेन्सीयों के तकनीकी पक्ष पर निर्णय लिया जायेगा। योजना संचालन हेतु जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय

स्वीकृति मदवार निर्धारित है। चयनित ऐजेन्सी को जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत धनराशि के आधार पर ही अनुबन्ध के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

6. योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एंव अनुश्रवण

योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन निदेशालय जनजाति कल्याण के माध्यम से समय—समय पर किया जायेगा। जनपद स्तर पर योजना का नियोजन कार्यान्वयन एंव अनुश्रवण का सम्पूर्ण दायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद स्तर पर योजना के नियोजन एंव कार्यान्वयन के लिए संगत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय लेंगे एंव कार्यों की समीक्षा करेंगे।

7. खण्ड (ख)कार्य का विवरण—

- ❖ आंवटित जनपदों के ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करना जहाँ पर दावे प्राप्त होने की सम्भावना हों।
- ❖ ऐसे चिह्नित क्षेत्र जहाँ से दावे अधिक प्राप्त होने की सम्भावना हो उन क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करवाना।
- ❖ एक वर्षीय कार्य योजना का निर्माण करना जिसके अन्तर्गत दावों की प्राप्ति तथा एक निश्चित समय सीमा के अन्दर दावों का निस्तारण करवाने में सहयोग प्रदान करना।
- ❖ ग्राम स्तरीय,उप खण्ड स्तरीय व जिला स्तरीय समिति तथा दावेदारों को सहयोग प्रदान करना।
- ❖ दावेदार का दावा प्रपत्र भरवाना।
- ❖ वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी जिनके पक्ष में भूमि का स्पष्टतः हकनामा, हो जाने के बाद उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करना।
- ❖ वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी जिनके पक्ष में भूमि का स्पष्टतः हकनामा हो गया हो उन्हें वन्य जीवन, वन और जैव—विविधिता का संरक्षण व उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- ❖ प्रतिमाह निदेशालय तथा जिलाधिकारियों को प्रगति विवरण उपलब्ध भेजना।
- ❖ निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा सौंपें गए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम—2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम—2007 सम्बन्धी अन्य कार्यों को सम्पादित करना।

8— प्रस्ताव की रूपरेखा

इच्छुक सेवा प्रदाता फर्म का नाम, विधिक प्रारिथ्मिति, विगत में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण, प्रश्नगत कार्य को सम्पन्न करने हेतु कार्ययोजना का समावेश करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

निदेशक

जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड
देहरादून।